प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
लखनऊ।

पत्रांकः–　　　/मेखगंनमे/वाहन/　　　　　　　　　　दिनॉक :

विषयः– नीलामी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

इस खण्ड की ट्रक संख्या यू0एस0एल0–4321, जीप संख्या यू0टी0जी0–0840 एवं जीप संख्या यू0पी0–12ए0जी0–0252 की नालामी दिनांक 15–01–2018 को होनी है। नीलामी की सूचना चार प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि नीलामी सूचना को दो प्रमुख समाचार–पत्रों में जिनका प्रकाशन व प्रसारण मेरठ में होता हो, में तीन दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– नीलामी की सूचना चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

पत्रांकः–　　　/मेखगंनमे/ई–1/दिनॉक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाईन), मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (कम्यूटर सैल), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि नीलामी सूचना का विभागीय वेबसाईट पर डालने की कृपा करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ/ड्रेनेज मण्डल,मेरठ/गंगा नहर संचालन मण्डल,मेरठ/अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, मेरठ/मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल,मेरठ/नलकूप मण्डल, मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ/नलकूप खण्ड(पूर्व),मेरठ/ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, मेरठ/अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, मेरठ/कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ।
8. सहायक अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं पंचम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ
9. खण्डीय लेखाधिकारी/कैशियर, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
10. नोटिस बोर्ड हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के प्रागंण में निम्नलिखित डीजल चलित वाहन की नीलामी दिनांक 15.01.2018 दिन को प्रातः 12:00 बजे की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/ राष्ट्रीय बचत पत्र जो अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के नाम बन्धक हो, दिनांक 08.01.2018 से 13.01.2018 तक खण्डीय कैशियर के पास कार्यालय में जमा करानी होगी ।

क्रम0सं0	निष्प्रोज्य वाहन का नाम/संख्या/माडल में सहित	यूनिट	धरोहर राशि
1–	ट्रक सं0 यू0एस0एल0–4321, मॉडल 1951	01	3000.00
2–	जीप संख्या यू0टी0जी0–0840	01	3000.00
3–	जीप संख्या यू0पी0–12ए0जी0–0252	01	3000.00

नोटः– उपरोक्त निष्प्रयोज्य वाहन का निरीक्षण दिनांक 08.01.2018 से 13.01.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ में किया जा सकता है ।

नीलामी की शर्तेः–

1– नीलामी की ट्रक सं0 यू0एस0एल0–4321 व जीप संख्या यू0पी0–12ए0जी0–0252 की बोली किसी भी दशा में विभागीय दर धनराशि रू0 9000.00 एवं जीप संख्या यू0टी0जी0–0840 की बोली विभागीय दर धनराशि रू0 12000.00 से कम पर स्वीकार नही की जायेगी।

2– उपरोक्त निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी जैसा है जहॉ है के आधार पर की जायेगी ।

3– यह नीलामी सूचना विभगीय वेबसाईट एवं उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है जो उक्त वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है ।

4– समस्त बोलीदाता दिनांक 08.01.2018 से 13.01.2018 की सांय 04:00 बजे तक खण्डीय लेखाधिकारी के समक्ष अपनी फर्म अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के नाम बन्धक हो, खण्डीय कैशियर के पास जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात बोलीदाता नीलामी में भाग लेने का अधिकारी होगा।

5– नीलामी के समय कोई भी व्यक्ति/फर्म का प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का कोई हथियार अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर कार्यालय प्रांगण में नही आयेगा। यदि आता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

6– यदि बोली बोलने वाली फर्म/व्यक्तियों ने एक समूह/गिरोह बना लिया है और प्रतिस्पर्धा के रूप में उचित मूल्य नही मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में समिति द्वारा नीलामी को स्थगित कर दिया जायेगा।

7– नीलामी हेतु समस्त निर्णय का अधिकार नीलामी समिति कि पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नही होगा।

क्रमशः........2

8– अधिकतम बोली वाली फर्म/व्यक्ति को अपनी बोली का 50 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में (बोली के पूर्व की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए) तुरन्त जमा कराना होगा अन्यथा उसके लिए नीलामी से पूर्व जमा करायी गयी धरोहर राशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी। यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा 50 प्रतिशत धरोहर धनराशि नही दी जाती तो ऐसी स्थिति में द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को (बोली से पूर्व धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए) अपनी बोली की 50 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा नीलामी समिति द्वारा पुनः नीलामी कर दी जायेगी।

9– प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाताओं के अलावा अन्य बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि बोली समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

10– निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष एवं गठित समिति का होगा।

11–बोली की धनराशि पर नियमानुसार प्रचलित आयकर एवं जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा।

12–नीलामी समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना बोलीदाताओं के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में विघ्न डालेगा तो उसे नीलामी स्थल से बाहर कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

13–नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को 15 दिवस के अन्दर नीलामी के अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गयी 50 प्रतिशत धनराशि को विभागीय हित में जब्त कर लिया जायेगा।

14–नीलामी की स्वीकृति के एक माह के अन्दर कार्य स्थल से सामग्री को ले जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा। यदि बोलीदाता उक्त अवधि में सामग्री स्थल से सामग्री नही उठाता है तो उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उसी का होगा।

15–नीलामी में शामिल होने हेतु सभी बोलीदाता अपनी पहचान प्रमाण पत्र एव ंपते का प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य वैद्य प्रमाण पत्र), एफ0डी0आर0 जमा कराते समय खण्डीय कैशियर को उपलब्ध करायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ